बिहार सरकार
कृषि विभाग।

सका0आ0सं0–06 / स्था0कोर्ट–111 / 2018 कृ0 / पटना, दिनांक : , 2019

सकारण आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–17375 / 2014 लाल बिहारी साहू बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 17.07.2018 का संदर्भित अंश निम्नवत है:–

"Heard learned counsel for the petitioner and the respondent State.

2. The entitlement of the petitioner to higher scale being admitted in the earlier proceedings arising out of C.W.J.C. No. 9663 of 2007, the writ petition was disposed off permitting the petitioner to approach the Agriculture Production Commissioner, Bihar, Patna for payment of the dues amount under Annexure 2 dated 15.05.2013.

3. The petitioner after disposal of his earlier writ petition on 18.04.2012 has approached the Director, Agriculture but till date petitioner's dues have not been paid. In spite of dues being admitted as recorded in the earlier order passed in C.W.J.C. No. 9663 of 2007 and in spite of submission of representation, last five years have not been enough for the respondents to process the admitted dues to the petitioner.

4. In the instant proceedings also stand has been taken in the counter affidavit that grievance of the petitioner is being looked into at the level of Director of Agriculture. Such inaction on the part of the respondents in spite of the benefit being admitted and recorded in order dated 18.04.2012 passed in C.W.J.C. No. 9663 of 2007 has compelled the petitioner to approach this Court.

5. This Court therefore, directs that the respondents should pay the dues which are admitted in order dated 18.04.2012.

6. The respondent no. 2 would be obliged to pay the admitted dues of the petitioner in light of the benefit having been admitted in the earlier writ proceedings within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. .

7. It is made clear that if the dues admitted are not paid within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order, the petitioner would be entitled to interest at the rate of 8 percent on the amounts found due to the petitioner from the date of filing of the instant writ petition till date of payment.

8. The writ petition is disposed off.

9. After sanction of admissible amount, the respondent Accountant General would be obliged to issue the authority for payment of the dues within a period of four weeks thereafter."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त संदर्भित न्यायादेश दिनांक 17.07.2018 के आलोक में आवेदक श्री साहू द्वारा अपना दावा अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2018 कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, पटना के समक्ष समर्पित करते हुए उसकी प्रति कृषि निदेशक, बिहार, पटना, महालेखाकार बिहार, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को भी दी गई है, जिसमें श्री साहू द्वारा चार सप्ताह के भीतर में अपने निम्नांकित दावों को भुगतान करने के लिए दावा समर्पित किया गया है:–

(i) प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि 09.08.1999 से वेतनमान 6500–10,500/– एवं द्वितीय ए0सी0पी0 की देय तिथि 07.11.1999 से वेतनमान 10000–15,200/– के वेतनमान में वेतन निर्धारित करते हुए पेंशन पुनरीक्षित, उपदान, उपार्जित अवकाश इत्यादि का बकाया वेतन का अन्तर वेतन एवं पेंशन, उपदान का यथाशीघ्र भुगतान हेतु पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सुनिश्चित किया जाय, क्योकि समकक्ष एवं कनीय पदाधिकारियों को दोनों ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए उन्हें उच्च वेतनमान में विभाग द्वारा भुगतान किया जा चुका है, परन्तु आवेदक को अबतक इस लाभ से वंचित रखा गया है।

(ii) चार सप्ताह के समय सीमा के अन्दर आवेदक को नये पेंशन का भुगतान एवं उपदान, अर्जित अवकाश का बकाया राशि स्वीकृति सुनिश्चित किया जाय।

4. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–894 (22) दिनांक 22.04.2018 द्वारा आवेदक की ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

5. जिला कृषि पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1228 दिनांक 08.08.2018 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि:–

(i) याचिकाकर्त्ता श्री साहू दिनांक 31.01.2002 को परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सोनवर्षा के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 प्रोन्नति के लिए सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9663/2007 दायर किए थे।

(ii) उक्त याचिका का निष्पादन दिनांक 18.04.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किया गया, जिसमें यह निर्देशित किया कि श्री साहू अपनी प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 प्रोन्नति के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के समक्ष अपना दावा अभ्यावेदन समर्पित करेंगे, जिसका निष्पादन नियमानुकूल रूप से किया जाएगा।

(iii) निदेशानुसार भवदीय पत्रांक–1354 दिनांक 03.12.2014 के अनुपालन में परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक–111 दिनांक 13.12.2014 द्वारा श्री साहू का सेवापुस्त अभिप्रमाणित (छायाप्रति) विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

(iv) आवेदक श्री साहू द्वारा दिनांक 15.05.2013 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना के समक्ष दावा अभ्यावेदन समर्पित किया है जैसा कि परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्र सं0–106 दिनांक 20.11.2014 के बिंदु 3 में उल्लेख है।

(v) आवेदक श्री साहू द्वारा समर्पित दावा अभ्यावेदन पर निदेशालय स्तर से क्या निर्णय लिया गया उससे संबंधित कोई भी सूचना परियोजना कार्यालय, सोनवर्षा में उपलब्ध नहीं है।

(vi) याचिकाकर्त्ता श्री साहू बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) के पदाधिकारी थे, अस्तु इनके प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 के दावा का निस्तार निदेशालय स्तर से होना है।

(vii) याचिकाकर्त्ता द्वारा पुनः सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–17375/2014 द्वारा रिट दायर किया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9663/2007 में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 प्रोन्नति का लाभ अबतक नहीं मिल पाया है।

(viii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–17375/2014 के आलोक में दिनांक 17.07.2018 को न्यायादेश पारित हुआ है कि आदेश निर्गत तिथि से 4 (चार) सप्ताह

के अंदर याचिकाकर्त्ता को बकाया राशि भुगतान नहीं होता है तो रिट याचिका दायर करने की तिथि से 8 प्रतिशत सूद भुगतान करना होगा।

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदक श्री लाल बिहारी साहू द्वारा समर्पित किये दावा अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2018 तथा जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–1228 दिनांक 08.08.2018 के संदर्भ में प्रशाखा से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि:–

(i) आवेदक श्री लाल बिहारी साहू की प्रथम नियुक्ति जनसेवाक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता संवर्ग में दिनांक 30.04.1964 को अपुनरीक्षित वेतनमान 60–100/रूपये तथा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान 4000–6000/– रूपये में हुई थी।

(ii) आवेदक श्री साहू के जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता के पद से प्रथमतः कृषि निरीक्षक के पद पर दिनांक 07.11.1975 को अपुनरीक्षित वेतनमान 355–555/– रूपये तथा अन्ततः प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 400–660/– रूपये में दिनांक 01.01.1996 पुनरीक्षित वेतनमान 5000–8000/– रूपये में प्रोन्नति प्रदान किये गये थे।

(iii) आवेदक श्री साहू परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सोनवर्षा (सहरसा) के राजपत्रित पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए है।

(iv) आवेदक श्री साहू को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–5035 दिनांक 18.12.2007 (क्रमांक–302) द्वारा दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति वेतनमान 6500–10500/– रूपये में प्रदान की गई है।

7. उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि श्री साहू को प्रोन्नति के पद सोपान के तहत उनके सेवाकाल में दिनांक 07.11.1975 को प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नति का लाभ तथा दिनांक 09.081999 को द्वितीय उच्चत्तर पद बिहार कृषि सेवा, कोटि–01 (शष्य) के वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है। फलतः चूँकि इन्हें पूर्व में ही दो–दो प्रोन्नति (प्रथम पदोन्नति एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन) का लाभ प्रदान किया जा चुका है इसलिए अब इन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत अन्य कोई भी वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी है।

8. अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–17375/2014 लाल बिहारी साहू बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 17.07.2018 के अनुपालन में आवेदक श्री लाल बिहारी साहू सेवानिवृत्त परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी सोनवर्षा (सहरसा) के अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2018 को अस्वीकृत करते हुए उक्त हद तक निष्पादित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों के साथ–साथ आवेदक श्री लाल बिहार साहू को भी दे दी जाय।

ह0/–
(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 154 कृ0, पटना, दिनांक– 18/3 , 2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) सहरसा प्रमंडल सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहरसा/परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सोनवर्षा, जिला–सहरसा/श्री लाल बिहारी साहू, सेवानिवृत्त परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, पुत्र स्व0

चमक लाल साहू, ग्राम–करूआ टोला (रूपली/रूपनी), पो0+थाना–चौथम, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.3.2019

सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।